

## नजूल भूमि

### प्रलिस के लयः

[वधिवंस अभयान](#), नजूल भूमि (स्थानांतरण) नयिम, 1956, नजूल भूमि, वधिवंस अभयान, अतकिरण ।

### मेन्स के लयः

नजूल भूमि, वधिवंस अभयानों के खलाफ कानून, नरिणय और मामले ।

स्रोत: [इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर नजूल भूमि पर एक मस्जिद और मदरसे की जगह पर अतकिरण हटाने के लिये [वधिवंस अभयान \(Demolition Drive\)](#) चलाने के बाद हिसा भडक गई ।

- प्रशासन के अनुसार, जसि संपत्ति पर दो संरचनाएँ स्थिति हैं, वह नगर परिषद की नजूल भूमि के रूप में पंजीकृत है ।

## नजूल भूमि क्या है?

### परचियः

- नजूल भूमि का स्वामतिव सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है ।
  - राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को कसि भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक नश्चिती अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है ।
- यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है ।
- सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने- नजूल भूमि वापस लेने के लिये स्वतंत्र है ।
  - भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में, विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई है ।

### नजूल भूमि का उद्भवः

- ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिशों का वरिध करने वाले राजा-रजवाड़े अक्सर उनके खलाफ वदिरोह करते थे, जसि के कारण उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य कई लड़ाइयाँ हुईं । युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंगरेज़ अक्सर उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे ।
- भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंगरेज़ों ने इन ज़मीनों को खाली कर दिया । लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूरव स्वामतिव साबति करने के लिये उचित दस्तावेज़ों की कमी होती थी, इन ज़मीनों को नजूल भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था- जसिका स्वामतिव संबंधित राज्य सरकारों के पास था ।

### नजूल भूमि का उद्देश्यः

- सरकार आम तौर पर नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों, जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिये करती है ।
- भारत के कई शहरों में नजूल भूमि के रूप में चिह्नित भूमि के बड़े हिस्से को हाउसिंग सोसाइटियों के लिये उपयोग किया जाता है, आमतौर पर पट्टे पर ।
- जबकि कई राज्यों ने नजूल भूमि के लिये नयिम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी किये हैं, नजूल भूमि (स्थानांतरण) नयिम, 1956 वह कानून है जसिका उपयोग ज़्यादातर नजूल भूमि नरिणय के लिये किया जाता है ।

## अतकिरण क्या होता है?

### परचियः

- अतकिरण का आशय कसि और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है । सामान्यतः परतियकृत अथवा अप्रयुक्त

संपत्तियों के रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होने की स्थिति में संपत्तिस्वामी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। **संपत्ति के स्वामियों को** ऐसे मामलों से संबंधित **वधिकि प्रक्रिया** और अपने अधिकारों के बारे में **जागरूक होना अत्यावश्यक** है।

- शहरी अतिक्रमण का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अथवा संपत्ति के **अनधिकृत कब्जे** अथवा उपयोग से है।
- इसमें उचित अनुमति अथवा कानूनी अधिकारों के बिना संपत्ति पर **अवैध नरिमाण, कब्जा** अथवा **किसी अन्य प्रकार का कब्जा** शामिल हो सकता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441** में भूमि अतिक्रमण को परभाषित किया गया है जिसके अनुसार किसी अन्य के कब्जे की संपत्ति पर अपराध करने अथवा व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, भयभीत करने अथवा वधिपूर्वक रूप से संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य अतिक्रमण है।

#### ■ **अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया:**

- संबद्ध विषय में कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व **नगर नगिम अधिकारियों द्वारा** आमतौर पर अवैध अतिक्रमण में शामिल व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को **नोटिस जारी करना** आवश्यक होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय से साथ-साथ अन्य न्यायालयों ने ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया के महत्त्व पर जोर दिया और अमूमन नरिणय किया कि किसी भी संपत्ति को वधिर्वस करने से पूर्व संबद्ध व्यक्तियों को उचित नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
- वर्ष **1985 के ओलगा टेलिस मामले** में, आजीविका के अधिकार तथा झुग्गीवासियों के अधिकारों को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय किया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- यदि संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रत्युत्तर देने में वफिल रहने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने की दशा में नगर नगिम अधिकारियों **संपत्ति को वधिर्वस करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।**
- अधिकारियों से आमतौर पर उल्लंघन की प्रकृति और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिये की गई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nazool-land>

